तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
08.04.2025	अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। मद्यूनान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। डिक्रीदार के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मद्यून संख्या–16बी प्रशान्त शर्मा की मृत्यु दिनांक 15.12.2019 को हो चुकी है। जिस बाबत जो वाद कलकत्ता में दायर किया हुआ है उसमें प्रशान्त शर्मा की मृत्यु बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था लेकिन हस्तगत इजराय में सहवन से भूलवश प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात कोविड–19 के कारण प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सका। डिक्रीदार द्वारा कानूनी सलाह लेने के पश्चात अविलम्ब हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश करने में जो देरी हुई है वह सद्भाविक है उसे कण्डोन करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत प्रार्थना पत्र को पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर मद्यून क्रम–16बी प्रशान्त शर्मा को मृतक दर्ज करने व उसके वारिसान पूजा शर्मा पत्नी प्रशान्त शर्मा तथा दक्षराज शर्मा पुत्र प्रशान्त शर्मा (नाबालिग) जरिये सरपरस्त माता पूजा शर्मा को रिकार्ड पर लिये जाने व प्रकरण में स्वतः ही हुए उपशमन को अपास्त करने का निवेदन किया। अधिवक्ता मद्यूनान ने दौराने बहस अधिवक्ता डिक्रीदार के तर्कों का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः तर्क दिया है कि डिक्रीदार को मद्यून प्रशान्त शर्मा की मृत्यु की जानकारी प्रारंभ से ही थी। हस्तगत प्रकरण डिक्रीदार द्वारा जानबूझकर देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा डिक्रीदार द्वारा देरी के जो कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किये गये हैं वे सद्भाविक कारण प्रतीत नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।	

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र, मद्यून क्रम–16बी प्रशान्त शर्मा की मृत्यु दिनांक 15.12.2019 को होने के बाद दिनांक 23.05.2024 को पेश किया गया है। इस अवधि के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन रहने के कारण कोविड–19 लॉकडाउन अवधि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुमोटो रिट पिटिशन सिविल में स्वतः ही कण्डोन किये जाने के निर्देश पारित किये हुए हैं। प्रकरण में शेष पक्षकारान असालतन/वकालतन उपस्थित आ रहे हैं। इस प्रकार डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में हस्तगत प्रार्थना पत्र को विलम्ब से पेश करने के जो आधार बताये हैं वे उक्त विवेचनानुसार उचित एवं सद्भाविक होना माने जाने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर हस्तगत प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे कन्डोन किया जाता है एवं इजराय के स्वतः ही हुए उपसमन आदेश को अपास्त कर डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मद्यून संख्या–16बी प्रशान्त शर्मा के वारिसान 16बी/1 पूजा शर्मा 16बी/2 दक्षराज शर्मा, नाबालिग जरिये सरपरस्त माता पूजा शर्मा को कायम मुकाम प्रतिस्थापित किया जाता है। इस संबंध में मद्यून संख्या–16बी प्रशान्त शर्मा के नाम के आगे मृतक ''दौराने इजराय'' अंकित कर संशोधित टाईटल पेश किया जावे।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित टाईटल एवं बहस शेष प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।